(22)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

4- A — 559-I-16

अपील प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर

झुन्नीलाल गोंड पुत्र स्व श्री सुन्दर गौड निवासी 11 नान्हाखेडा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

............अपीलार्थी

श्री सुशील सिंह राठौर, अभि० द्वारा आज दि. 16-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. महाजन सेन पुत्र श्री सुखलाल निवासी 2188 मेडिकल गोल क्वाटर के पीछे श्री अम्बेडकर चौक तक तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.
3. रमेश श्रीपाल पिता स्व श्री प्यारेपाल निवासी मकान नं. 107 ग्राम सिवनी टोला तिलवाराघाट तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

..........प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 346/अ–21/2013–2014 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम नान्हाखेडा प0ह0नं0 33/26 रा0नि0मं0 जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 111/2 रकवा कमशः 0.72 हेक्टे .(1.77 एकड) अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर वह बच्चो की शिक्षा एंव ऋण चुकाने के लिये भूमि को विकय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 559—एक / 16 जिला —जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.2.2016	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा उपस्थित होकर टंकणी —त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्र0क0 अपील 559—एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 19.2.16 में पैरा—3 में कलेक्टर जबलपुर के स्थान पर कलेक्टर छतरपुर टंकण हो गया है । अतः कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पाढ़ जावे। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा —3 में कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी। सदस्य	